Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- चूरू में सहायक प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चूरू एवं प्राईवेट व्यक्ति बलवीर बिग्गा को 15,000/- रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2026, बुधवार। को ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी चूरू इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये **विजय खैरीवाल सहायक प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू, कुलदीप आलडिया वरिष्ठ सहायक कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चूरू** के लिए **प्राईवेट व्यक्ति बलबीर बीग्गा** को आज परिवादी से 15,000/- रूपये रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया । जिस पर बलबीर बीग्गा को मौके पर रंगे हाथों पकडा जाकर रिश्वती राशि **15,000/- रूपये** उसकी पहनी पेंट की जेब से बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक, श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी चूरू को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी को राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली 10 लाख रूपये की सहायता राशि दिलवाने की एवज में विजय खैरीवाल सहायक प्रोग्रामर, कुलदीप अलडिया वरिष्ठ सहायक एवं बलबीर बीग्गा प्राईवेट व्यक्ति के द्वारा परिवादी के अर्न्तजातिये विवाह करने पर राजस्थान सरकार के द्वारा डॉ. सवेता बेन अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये की सहायता राशि में से प्रथम किस्त 2.5 लाख रूपये स्वीकृत करवाकर दुसरी किस्त दिलवाने की एवज में परिवादी से तीनो आरोपिगण द्वारा 35,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई एवं मांग के अनुसरण में 20 हजार रूपये प्राईवेट व्यक्ति के द्वारा दौराने सत्यापन दिनांक 15.04.2026 को प्राप्त किये गए।

जिस पर एसीबी बीकानेर के **उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चूरू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में मय टीम के द्वारा मांग का सत्यापन करवाया जाकर आज ट्रेप का आयोजन कर प्राइवेट व्यक्ति बलबीर बीग्गा को 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुऐ रंगे हाथो गिरफ्तार कर रिश्वत राशि बरामद की गई। मौके पर कार्यवाही करते हुए विजय खैरीवाल सहायक प्रोग्रामर, कुलदीप अलडिया वरिष्ठ सहायक एवं बलबीर बीग्गा प्राईवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।